दिनांक 30.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 54/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एएनटीएफ थाना/यूनिट गोरखपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 03 सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार कर, कब्जे से 550 ग्राम अवैध हेरोइन (जिसका कीमत लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये), 01 अदद कार अर्टिगा, 04 अदद एन्ड्राइड मोबाइल व 8900/— रुपये नकद बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उ0प्र0 लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ लखनऊ के निर्देशन में एएनटीएफ थाना/यूनिट गोरखपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 03 सक्रिय तस्कर जिनका नाम (1) मो0 अनस पुत्र इरसाद निवासी टिकरा उस्मा थाना जैतपुर जनपद बाराबंकी उम्र करीब 24 बर्ष, (2) मो0 अरसलान पुत्र मो0 सुलेमान निवासी तिकनिया मऊ थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष, (3) नासिर अली पुत्र आविद अली निवासी टिकरा उस्मा थाना जैतपुर जनद बाराबंकी उम्र करीब 55 बर्ष को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से 550 ग्राम अवैध मादक पदार्थ हेरोइन (जिसका कीमत लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये), 01 अदद कार अर्टिगा, 04 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन व 8900/— रुपये बरामद किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना विभूतिखण्ड, कमिश्नरेट लखनऊ पर मु0अ0सं0 429/25 धारा 8/21/29/60 एनडीपीएस एक्ट मे मुकदमा पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्यवाही किया गया ।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण द्वारा पूछने पर बताया गया कि यह मादक पदार्थ हेरोइन अपने गांव के ही एक व्यक्ति से लाकर बेचने जा रहे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1–मो0 अनस पुत्र इरसाद निवासी टिकरा उस्मा थाना जैतपुर जनपद बाराबंकी उम्र करीब 24 वर्ष।

2–मो0 अरसलान पुत्र मो0 सुलेमान निवासी तिकनिया मऊ थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष।

3–नासिर अली पुत्र आविद अली निवासी टिकरा उस्मा थाना जैतपुर जनद बाराबंकी उम्र करीब 55 बर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान–

दिनांक– 29.11.2025 स्थान– कामता से इकाना स्टेडियम शहीद पथ मार्ग पर कामता चौराहा से कुछ दूरी पर बीबीडी विराज टावर के सामने मेन रोड थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ ।

बरामदगी का विवरण

1. 550 ग्राम अवैध हेरोइन (जिसकी कीमत लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये),
2. 04 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन
3. 01 अदद चार पहिया वाहन
4. 8900/– रूपया नगद ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण– ए0एन0टी0एफ0 थाना/यूनिट गोरखपुर

1– प्रभारी उप निरीक्षक श्री रमेश राम एएनटीएफ थाना /यूनिट गोरखपुर ।

2– हे0का0 शशिकान्त राय एएनटीएफ थाना गोरखपुर ।

3– हे0का0 दिव्यशंकर राय एएनटीएफ थाना गोरखपुर ।

4– हे0का0 उपेन्द्र यादव एएनटीएफ यूनिट गोरखपुर ।

5– का0 रजनीश पाल एएनटीएफ थाना गोरखपुर ।

सहयोगार्थ थाना–विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ की टीम–

1– उप निरीक्षक श्री प्रमोद चौधरी थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ ।

2– उप निरीक्षक श्री अमरीश कुमार धामा थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ ।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना फजलगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **लूट के नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉक: 29.11.2025 को थाना फजलगंज व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दादानगर ढाल पर बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त करन सिंह घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), लूट के नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना फजलगंज पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फजलगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—करन सिंह निवासी गोविन्दनगर, कानपुर नगर।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2—लूट के नगद रूपये।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद कुशीनगर/थाना कसया

• 07 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण

• चोरी के 01 लाख 92 हजार 500 रूपये नगद बरामद

दिनॉकः 30.11.2025 को थाना कसया व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 07 अभियुक्तों 1–आकाश 2–विक्रम 3–अतीश 4–करन 5–दीपक 6–पवन 7–अमरेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 01 लाख 92 हजार 500 रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कसया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कसया पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपये चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कसया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकाश निवासी मेहरपुरवा, पुरवा चौराहा थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

2–विक्रम निवासी परशुराम चौराहा सीसी रोड थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

3–अतीश निवासी छोटी बेवरी थाना गोला जनपद गोरखपुर।

4–करन निवासी जमुना सदन चमटोली थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

5–दीपक निवासी जमुना सदन चमटोली थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

6–पवन निवासी जमुना सदन चमटोली थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

7–अमरेश निवासी ब्लाक नम्बर–09 काशीराम आवास थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

बरामदगी

1–चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी के 01 लाख 92 हजार 500 रूपये नगद।

जनपद झाँसी/थाना प्रेमनगर

• पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

• 01 मोटर साइकिल

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद

दिनाँकः 30.11.2025 को थाना प्रेमनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बल्लमपुर रोड से नगरा की तरफ जाने वाले रास्ते पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी।पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त करन उर्फ किशन कुमार उर्फ कृष्ण कुमार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना प्रेमनगर पर पंजीकृत अभियोग में वाँछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद झाँसी के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–करन उर्फ किशन कुमार उर्फ कृष्ण कुमार निवासी सैय्यदनगर नगरा थाना प्रेमनगर जनपद झाँसी।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

जनपद झॉसी/थाना कोतवाली

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनॉकः 30.11.2025 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नारायण बाग से 02 अभियुक्तों 1–जितेन्द्र 2–अभिषेक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 दो पहिया वाहन बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जितेन्द्र निवासी कोछा भवर थाना नवाबाद जनपद झॉसी।

2–अभिषेक निवासी सागर गेट पानी टंकी के पास थाना कोतवाली जनपद झॉसी।

बरामदगी

1–चोरी की 09 दो पहिया वाहन।

दिनांक 30.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 55/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा साइबर अपराध कारित करने वाले 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा साइबर अपराधियों के विरूद्ध चलाये गये राज्यव्यापी अभियान के अन्तर्गत जनपद बस्ती के थाना कोतवाली, थाना लालगंज व साइबर सेल की गयी संयुक्त कार्यवाही में साइबर अपराध कारित करने वाले 06 अभियुक्तों क्रमशः 1- सुजित चौधरी पुत्र हरिप्रसाद चौधरी 2- निपेन्द्र चौधरी पुत्र रामविलास उर्फ रामनेवास 3- रामनाथ चौहान पुत्र रमेश चौहानए को आज दिनांक 30.11.2025 को मथौली छठ घाट पोखरे के पास से समय करीब 08:10 बजे तथा अभियुक्त 4-अश्विनी पाठक पुत्र विनोद पाठक 5- निखिल त्रिपाठी पुत्र अखिलेश त्रिपाठी 6- प्रशान्त मिश्रा पुत्र बृहस्पति मिश्रा को आज दिनांक 30.11.2025 को समय करीब 09:00 बजे रोडवेज बस्ती से हिरासत पुलिस में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विदित है कि थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 453/2025 धारा 34, 419, 420, 506 IPC व 66डी आई0टी0 एक्ट, थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 312/2025 धारा 3(5), 318(4), 319(2), 351(3) बीएनएस व 66D IT ACT व थाना सोनहा पर मु0अ0सं0 285/2025 धारा 3(5), 319(2), 318(4), 111, 351(3) BNS व 66D IT एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही थी, इसी क्रम में गिरफ्तारी व बरामदगी सुनिश्चित की गयी है।

अभियुक्तगण के अपराध कारित करने का तरीका-

थाना कोतवाली- अभियुक्तगण द्वारा आम जनमानस को इन्वेस्टमेण्ट ट्रेडिंग में लाभ मिलने का झांसा देकर उनके खातों का प्रयोग देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों से साइबर ठगी कर उससे अर्जित धन को प्राप्त करने हेतु किया गया है।

थाना लालगंज- अभियुक्तगण द्वारा बैंक कर्मचारी की मदद से वादी व आम जनमानस को एक्सिस बैंक में फ्री में बैंक खाता खोलने का झांसा देकर बैंक नये खाते खुलवाये गये है जिसमें अभियुक्तों द्वारा फर्जी / प्री एक्टीवेटेड सिम कार्ड को लिंक कराया गया, खाते पर जारी एटीएम कार्ड चेक बुक आदि को अपने पास रखकर उन खातों का प्रयोग देश के विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित जगहों से साइबर अपराध कारित कर उनसे अर्जित धन को प्राप्त करने हेतु किया गया है।

थाना सोनहा- अभियुक्तगण द्वारा गांव गांव घूमकर आम भोली भाली जनता को सरकारी योजना में धन मिलने का लालच देकर बैंक खाते खुलवाये गये, तथा उन सभी बैंक खातों का प्रयोग देश के विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित जगहों से साइबर अपराध कारित कर उनसे अर्जित धन को प्राप्त करने हेतु किया गया है।

उपरोक्त तीनों प्रकरण में अब तक 06 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी है, प्राथमिक रूप से तीनों प्रकरण में अब तक 38 बैंक खाते प्रकाश में आये है, जिनपर देश के विभिन्न राज्यों से कुल 74 से भी अधिक शिकायतें दर्ज हैं, दर्ज शिकायतों के सापेक्ष अबतक कुल 4,49,61,225(चार करोड़ उन्नचास लाख इकसठ हजार दो सौ पच्चीस) रूपयों की साइबर ठगी का मामला प्रकाश में आया है।

प्रकरण से सम्बन्धित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

(सम्बन्धित थाना लालगंज)

1. सुजित चौधरी पुत्र हरिप्रसाद चौधरी साकिन मकदूम पुर थाना लालगंज जनपद बस्ती उम्र करीब 25 वर्ष।
2. निपेन्द्र चौधरी पुत्र रामविलास उर्फ रामनेवास साकिन डडिया थाना लालगंज जनपद बस्ती उम्र करीब 23 वर्ष।
3. रामनाथ चौहान पुत्र रमेश चौहान साकिन महथा थाना लालगंज जनपद बस्ती उम्र करीब 28 वर्ष।

(सम्बन्धित थाना कोतवाली)

4. अश्विनी पाठक पुत्र विनोद पाठक साकिन गोविन्दपारा थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती उम्र 25 वर्ष करीब।
5. निखिल त्रिपाठी पुत्र अखिलेश त्रिपाठी साकिन नरायनपुर तिवारी थाना हरैया जनपद बस्ती उम्र 22 वर्ष।
6. प्रशान्त मिश्रा पुत्र बृहस्पति मिश्रा साकिन बिहरा खास थाना हरैया जपनद बस्ती उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तार का स्थान व समय-

03 अभियुक्त सम्बन्धित- थाना कोतवाली को रोडवेज से, समय करीब 09 बजे

03 अभियुक्त सम्बन्धित- थाना लालगंज को मथौली छठ घाट पोखरे के पास, समय करीब 08.10 बजे

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद पासबुक इण्डिन बैंक खाताधारक प्रिंस चौधरी
2. 03 अदद मोबाइल
3. 650/ रुपया

घटना का संक्षिप्त विवरण- उल्लिखित है कि साइबर अपराध में प्रयुक्त म्यूल खातों के सत्यापन के क्रम में जनपद **बस्ती के केस 1-** थाना कोतवाली पर दिनांक 27.11.2025 को मु0अ0सं0 453/2025 धारा 34, 419, 420, 506 IPC व 66डी आई0टी0 एक्ट जिसमें वादी प्रिन्स चौधरी पुत्र श्री प्रहलाद चौधरी नि0 ग्राम डिडौहा थाना कोतवाली जनपद बस्ती द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से शिकातय दर्ज करायी गयी कि दिनांक 06.02.2024 प्रार्थी के खाते व उनके मित्र शिवा मोदनवाल पुत्र सन्तोष कुमार निवासी शिवनगर तुर्कहिया पोस्ट गांधीनगर के खाते को इन्वेस्टमेन्ट ट्रेडिंग पर कमीशन दिलाने के नाम पर अभियुक्तगण द्वारा उनके खाते से सबंधित समस्त जानकारी जैसे खाता सख्या, आईएफएससी कोड, यूपीआई आई0डी0, क्यूआर स्कैनर प्राप्त कर उनके व उनके मित्र शिवा के खाते का दुरुपयोग साइबर फ्रॉड के पैसों के लिये किया गया। खाता होल्ड होने से कुछ दिन पहले अश्वनी व निखिल के द्वारा उनके खाते में क्रमशः 1000 व 200 कुल 1200 रूपया डाला गया था, प्रार्थी ने यू0पी0 112 पर फोन कर पुलिस बुलाने की बात कही तो इन लोगों ने प्रार्थी का कॉलर पकड़ लिया और धमकी देने लगे कि पुलिस के पास जाओगे तो तुम्हे जान से मार देंगे।

केस 2- थाना लालगंज पर दिनांक 27.11.2025 को वादी दिनेश कुमार पुत्र धनुषधारी ग्राम मथौली पोस्ट डरवलिया थाना लालगंज जनपद बस्ती द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराया गया कि अभियुक्तगण व उनके सहयोगी द्वारा वादी व वादी के दोस्त अजय कुमार पुत्र रामसहाय निवासी पंखोबारी थाना लालगंज बस्ती व पवन कुमार विश्वकर्मा पुत्र घनश्याम विश्वकर्मा निवासी सजना खोर थाना लालगंज बस्ती का एक्सिस बैंक में फ्री खाता खुलावाकर चेक बुक, एटीएम, पासबुक सब कुछ फ्री में देने की बात बतायी गयी। इसी बात पर विश्वास कर वादी द्वारा वादी के मित्रो द्वारा निपेन्द्र के सीएचसी जो देईसाङ में है, वहाँ पर खाता खुलावाया, खाता खुलने के बाद वादी तथा वादी के दोस्तो द्वारा खाता नम्बर, पासबुक, चेकबुक माँगा गया तो सुजीत और निपेन्द्र द्वारा कहा गया कि जब खाता चालू होगा, तब मिलेगा। फिर कुछ दिन बाद वादी तथा पवन विश्वकर्मा बस्ती एक्सिस बैंक के ब्रांच पर जाकर हरिओम दूबे से अपने खाते का पासबुक, चेक बुक और एटीएम कार्ड मांगने पर खाता नं0 की मांग की गयी जो ना होने की स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा धमकी देते हुए जो करना है कर लो कहते हुए धमकी दी गयी। इस सम्बन्ध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 312/2025 धारा 3(5), 318(4), 319(2), 351(3) बीएनएस व 66D IT ACT पंजीकृत किया गया।

केस 3- थाना सोनहा पर दिनांक 27.11.2025 को वादी रमेश मौर्या पुत्र स्व0 छटंकी मौर्या निवासी ग्राम कनेथू बुजुर्ग थाना सोनहा जनपद बस्ती द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराया गया कि बावत विपक्षीगण द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आवेदक व गांव अन्य लोगो को मोदी जी की योजना बताकर झांसे में लेकर बैंक खाता खुलवाकर एटीम, पासबुक व अन्य प्रपत्र आदि अपने पास रख कर साइबर फ्राड करना, एटीम व पासबुक आदि मांगने पर जान से मारने की धमकी दिया गया। इस आधार पर मु0अ0सं0 285/2025 धारा 3(5), 319(2), 318(4), 111, 351(3) BNS व 66 D आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

————